8. प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

8.1. सूचना प्रौद्योगिकी

भा.वा.अ.शि.प. को "वानिकी में निर्णय लेने हेतु सूचना पद्धति"

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् को कर्नाटक वन विभाग द्वारा "वानिकी में निर्णय लेने हेतु सूचना पद्धति" मुहैया कराई गई हैं। भा.वा.अ.शि.प. को यह सम्मान दिनांक 10 मई 2013 को बैंगलोर में दिनांक 10 से 12 मई 2013 तक आयोजित कार्यशाला के दौरान दिया गया।

भा.वा.अ.शि.प., देहरादून

अनुसन्धान, प्रशासनिक तथा अन्य सहायक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भा.वा.अ.शि.प. के आई.टी. प्रभाग द्वारा निरन्तर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनकी संतुष्टि के अनुसार 24X7 सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं। आई.टी. प्रभाग द्वारा भा.वा.अ.शि.प. तथा उसके संस्थानों को सूचना संचार प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जा रही है। आई.टी. प्रभाग द्वारा आवंटित बजट द्वारा आई.सी.टी. को बढ़ाने हेतु सर्वोत्तम उपाय किये जा रहे हैं।

भा.वा.अ.शि.प. द्वारा बी.एस.एन.एन.–एम.पी.एल.एस. वी.पी.एन. से एन.के.एन. वी.पी.एन. का संक्रमण

वर्ष 2013–14 की मुख्य उपलब्धि भारत–संचार नेटवर्क लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)–मल्टीपल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एम.पी.एल.एस), वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.) से नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन.के.एन.),

नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन.के.एन) भा.वा.अ.शि.प. एवं उसके संस्थान के लिए वानिकी नेटवर्क

वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.) को भा.वा.अ.शि.प. तथा उसके 12 संस्थानों/केन्द्रों में ट्रांजिशन करना है। एन.के.एन. वी.पी.एन. नेटवर्क के विस्थापन का लाभ गति, विश्वसनीयता तथा आरोहयता है। नेटवर्क संयोजकता की क्षमता 2 एम.बी., 1 एम.बी. और 512 के.बी.पी.एस. से 100 एम.बी.पी.एस. आरोहयता सभी संस्थानों और केन्द्रों में है। इससे भा.वा.अ.शि.प. को प्रतिवर्ष रू. 75 की बचत होती है। भा.वा.अ.शि.प. के लिए एन.के.एन. वी.पी.एन. का भिन्न मोड, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में 10 जनवरी 2013 को शुरू किया गया जिसकी सुदूर केन्द्र आर.सी.बी.आर. में आइजल है। एल–3 स्विच का उपयोग वी.पी.एन. को नोड्स को एन.के.एन. भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों/केन्द्रों में संयोजित करना है। अन्ततः एक महीने के उपरान्त वी.पी.एन., भा.वा.अ.शि.प. को भा.वा.अ.शि.प. एन.के.एन. वी.पी.एन. में दिनांक 10 सितम्बर 2014 को निम्नानुसार चालू किया गया :

भा.वा.अ.शि.प. डाटा केन्द्र

भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म की स्थापना वर्ष 2009–10 में की गई जो तब से कार्य पर है। इससे भा.वा.अ.शि.प. तथा उसके संस्थानों के सभी कर्मचारियों को 24X7X365 सेवायें मिलती हैं। होस्टिंग इन्टरप्राईज वाईड एप्लीकेशन के साथ विभिन्न अनुसन्धान एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति

को भारतीय वानिकी अनुसन्धान सूचना पद्धति कहा जाता है। यह संदेश सेवा, वेब सेवा, डाटाबेस सेवा, प्रॉक्सी सेवा, डी.एन.एस. सेवा, डी.एच.सी.पी. सेवा, एफ.टी.पी. सेवा, बैकअप सेवा, इन्टरनेट सेवा, एम.पी.एल.एस.–वी.पी.एन. सेवा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एन्टीवायरस सेवा, हेल्पडैस्क सेवा, सी.ए. ई.एम.एस. आई.एस.एस., सेवायें भी मुहैया कराता है। भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों के विभिन्न पहलुओं के करीब 28 वेबसाईट को भा.वा.अ.शि.प. वेब सर्वर में होस्ट किया गया है। भा.वा.अ.शि.प. डाटा केन्द्र बिल्डिंग प्रबन्धन पद्धति का क्रियान्वयन एवं गणना की प्रभावी प्रबन्धन, मॉनीटरिंग एवं संयोजन सहित विभिन्न नॉन आई. टी. उपकरणों जैसे फायर अलार्म सिस्टम, अतिशीघ्र धुआं का पता लगाने का यंत्र, रोडेंट नियंत्रक, निगरानी पद्धति, पब्लिक संबोधन पद्धति और कूलिंग पद्धति आदि में किया जाता है।

भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म की उपलब्धि 2013–14 में 100 प्रतिशत थी। सर्वर फार्म 1065 स्रोतों से 63202 सिक्योरिटी अटैक सहने में सक्षम रहा और सभी अटैक सशक्त सुरक्षा संरचना के कारण इस अवधि में असफल रहे।

ई–मेल आई.डी. ने वर्ष 2013–14 में निम्ननिखित डाटा सृजित, डिसएब्ल्ड तथा डिलीट किये :

नई मेल आई.डी. का निर्माण	निर्योग्य की गई मेल आई.डी.	मिटाई गई मेल आई.डी.
91	43	9

भारतीय वानिकी अनुसन्धान तथा सूचना पद्धति (आई. एफ.आर.आई.एस.)

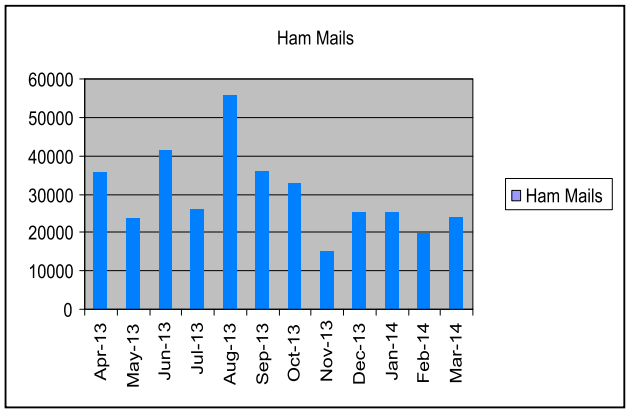

आई.एफ.आर.आई.एस. की संकल्पना का उद्देश्य वर्तमान मैनुअल पद्धति को स्वचालित पद्धति में परिवर्तित करना है यथा : पहुँच में सुधार/वृद्धि, क्षमता, पारदर्शिता एवं सेवा में उत्तरदायित्व, भा.वा.अ.शि.प. की जवाबदेही बढ़ाना जिसके लिए कार्य की स्वैच्छिकता एवं ज्ञान प्रबन्धन, उपभोक्ता के लिए सुगमता, हितधारकों की सूचना तक पहुँच तथा भा.वा.अ.शि.प. द्वारा सेवायें मुहैया कराना। कुछ माड्यल्स का उपयोग वर्ष 2010 से व्यापक रूप से किया जा रहा है जैसे पी.आई.एम.एस (पर्सनल इन्फार्मेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम), पी.एम.एस. (पे–रोल मैनेजमेन्ट सेस्टम), एफ.ए. एस. (फाइनांसियल एकाउन्टिंग सिस्टम), आर.आई.एम.एस. (रिसर्च इन्फार्मेशन सिस्टम), ई.डी.एम.एस. (इलैक्ट्रानिक डाक्यूमेन्टेशन सिस्टम) आदि। पी.आई.एम.एस. के पास 2125 कर्मचारियों का डाटा है। पी.आई.एम.एस. के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक 15986 लीव ट्रांजैक्शन किये गये। सभी संस्थानों में पी.आई.एम.एस. का प्रयोग पिछले तीन वर्ष से किया जा रहा है। पी.एम.एस. के जरिये पे–स्लिप तथा अन्य रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक एफ.ए.एस. में कुल 20350 वाउचर्स तैयार किये गये। आर.आई.एम.एस. में 350 परियोजनाओं से अधिक का डाटा है। ई.डी.एम.एस. में 7000 प्रलेख हैं।

वेबसाईट अपडेटस

भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाईट को निरंतर अद्यतन किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :

क्र.सं.	संस्थान का नाम	भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट में किया गया अद्यतनीकरण की संख्या
1.	भा.वा.अ.शि.प., देहरादून	366
2.	व.अ.सं., देहरादून	366
3.	व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	89
4.	का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर	79
5.	व.उ.सं., रांची	22
6.	व.व.अ.सं., जोरहाट	46
7.	हि.व.अ.सं., शिमला	69
8.	उ.व.अ.सं., जबलपुर	54
9.	शु.व.अ.सं., जोधपुर	20

भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों द्वारा वेबसाईट का अभिकल्प तथा विकास : सम्बन्धित संस्थानों में भा.वा.अ.शि.प. का डाटा अनुरक्षित तथा अद्यतन किया जाता है। इसके अलावा भा.वा.अ.शि.प. के डाटा केन्द्र में निम्नलिखित वेबसाईट विकसित तथा होस्ट की जाती हैं :

क्र.सं.	संस्थान	वेबसाइट का अभिकल्पन एवं विकास
1	भा.वा.अ.शि.प., देहरादून	• **एशिया प्रशांत कार्यशाला वेबसाइट:** एशिया प्रशांत कार्यशाला वेबसाइट का विकास एवं अनुरक्षण – http://apw2013.icfre.org. • **हिल कृषिवानिकी प्रणाली पर सम्मेलन की वेबसाइट:** हिल कृषिवानिकी प्रणाली पर सम्मेलन की वेबसाइट का विकास एवं अनुरक्षण – http://shas2014.icfre.org
2	का.वि.प्रौ.सं., बंगलौर	• "चंदनकाष्ठ : वर्तमान प्रवृत्तियां एवं भविष्य की सम्भावनाएं" पर फरवरी 26–28, 2014 तक बंगलौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चंदनकाष्ठ सम्मेलन की वेबसाइट का अभिकल्पन एवं विकास। देखिए – http://sandalwood2014.iwst.icfre.gov.in

डाटाबेस : कई डाटाबेस उपलब्ध हैं जिनका अनुरक्षण भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों में किया जाता है, जैसे भारतीय काष्ठ कीट डाटाबेस, भारतीय हाईउड्स का संरचनात्मक डाटाबेस, भारतीय वन कीट संग्रह, वन मृदा सूचना पद्धति (भारत), व.अ.सं. का संग्राहलय, जैव विविधता पर डाटाबेस, का.वि.प्रौ.सं. जेलेरियम का डाटाबेस, भारतीय काष्ठों की विशेषज्ञता पद्धति, अनुसन्धान परियोजना डाटाबेस आदि। इनको समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों में उपलब्ध डाटाबेस का संक्षेपण इस प्रकार है :

वीडियो सम्मेलन सुविधायें : भा.वा.अ.शि.प. में वीडियो सम्मेलन सुविधायें मई 2008 से शुरू की गई। अब तक 1000 वीडियो कान्फ्रेंशिंग सत्र सफलतापूर्वक पूरे किये गये हैं। 2013 से एन.के.एन. वी.पी.एन. टनल के जरिये भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों में वीडियो सम्मेलन सुविधायें शुरू की गई। वर्ष 2013–14 के दौरान वी.सी. उपकरणों के उच्चीकरण तथा अन्य केन्द्रों में विस्तार का कार्य शुरू किया गया है। बजट की कमी के कारण प्रक्रिया को रोक दिया गया है। 2013–14 में केवल वी.सी. के जरिये अनुसन्धान परियोजनाओं का मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन किया गया।

क्र.सं.	डाटाबेस	संस्थान	जानकारी
1	काष्ठ एनाटॉमी सूचना प्रणाली (डब्ल्यू ए आई एस)	व.अ.सं., देहरादून	एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर "काष्ठ एनाटॉमी सूचना प्रणाली (डब्ल्यू ए आई एस)" का विकास किया गया और सभी बिखरे हुए प्रकाशित आंकड़ों का इस पर संग्रह किया गया।
2	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह (एन एफ आई सी)	व.अ.सं., देहरादून	48,000 अवस्थितियों से संबंधित 17,000 प्रजातियां की सूचना डाटाबेस पर डाली गई
3	अधिदेशित प्रजातियों में वृक्ष सुधार पर डाटाबेस	व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	तमिलनाडु राज्य वन विभाग, केरल राज्य वन विभाग, वन विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों, भा .वा.अ.शि.प की सांख्यिकीय रिपोर्ट, डीएएनआईडीए धन वृक्ष अभिलेखों, वैज्ञानिकों एवं अन्य स्रोतों से वृक्ष सुधार सूचनाएं एकत्रित कर डाटाबेस में डाली गईं।
4	जैवविविधता पर डाटाबेस	व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	यह 70 संकटापन्न पादप प्रजातियों पर एक डाटाबेस है जिसमें विभिन्न प्रकार से वानस्पतिक नामों, कुलों, विवरण, वितरण, ऋतुजैविकी उपयोग इत्यादि की पुनःप्राप्ति, संकलन, मिटाना, संशोधन करना, विकल्प दिए गए हैं।
5	का.वि.प्रौ.सं. काष्ठ संग्रहालय का डाटाबेस	का.वि.प्रौ.सं., बंगलौर	का.वि.प्रौ.सं. काष्ठ संग्रहालय की सूचनाएं उपलब्ध हैं।
6	भारतीय काष्ठ के सूक्ष्मसंरचना, पहचान, गुणों एवं उपयोग के लिए– विशेषज्ञ प्रणाली	व.अ.सं., देहरादून	भारतीय वाणिज्यिक काष्ठ की सूक्ष्मसंरचना, पहचान, भौतिक गुणों एवं उपयोगों का डाटाबेस का सृजन किया गया और उसे सरल पुनर्प्राप्ति हेतु इलैक्ट्रोनिक माध्यम (सीडी) पर समाविष्ट किया गया। उसी को 'डब्ल्यू ए आई एस', काष्ठ के सूक्ष्मसंरचना, पहचान, गुणों एवं उपयोग के लिए– एक विशेषज्ञ प्रणाली पर समाविष्ट किया गया।
7	एन डब्ल्यू एफ पी सूचना प्रणाली	उ.व.अ.सं., जबलपुर	एन डब्ल्यू एफ पी प्रजातियों के अभिलेखों को रखने के लिए एक अंतःसक्रिय डाटाबेस पैकेज।
8	भारतीय काष्ठ कीट डाटाबेस	का.वि.प्रौ.सं., बंगलौर	काष्ठ एवं कीट की सूचनाएं उपलब्ध हैं।
9	भा.वा.अ.शि.प. अनुसंधान डाटाबेस परियोजनाएं 1990 से	भा.वा.अ.शि.प., देहरादून	इस डाटाबेस में वर्ष 1990 से भावा.अ.शि.प. की सभी परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। परियोजनाओं से संबंधित सटीक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। इसमें 1104 परियोजनाओं का विवरण है।
10	अजैव दबावों के प्रति अनुकूलन के लिए इनसिल्को जीनबैंक (आई जी बी ए ए एस)	व.आ.वृ.प्र.सं.	आई जी बी ए ए एस विभिन्न जीवों के अजैव दबावों के प्रति सहनशीलता की विषयवार समेकित क्रमिक सूचना है। सम्प्रति, डाटाबेस में 2500 से अधिक जीन अनुक्रम हैं। इसके अलावा, डाटाबेस बीएलएएसटी, एन सी बी आई के प्रमुख अभिकल्पन सॉफ्टवेयर और संरेखण उपकरण (कलस्टॉल डब्ल्यू), से सीधे संयोजकता देता है जिसके द्वारा यह कैंडिडेट जीन आधारित मोलिक्यूलर मार्कर्स और क्रियाशील जीनोमिक्स पर कार्य कर रहे पादप अनुसंधानकर्ताओं को एक बिन्दु स्त्रोत बन जाता है।

व.आ.वृ.प्र.सं. ने संस्थान की जियोमैट्रिक्स लैब का विकास किया जिसके लिए अतिरिक्त उपकरण प्राप्त किये गये जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर– अर्थात आर्क जी. आई.एस. एडीटर, इरदास इमेजिन 2014 आदि। हि.व.अ.सं. द्वारा संस्थान के वानिकी सम्बन्धित जीवो संदर्भ के लिए टोपोग्राफीकल शीट्स में संस्थान का रिकॉर्ड रखने हेतु नये जी.आई.एस. सिस्टम की स्थापना की गई।

प्रशिक्षण/कार्यशालाः डॉ. स्वप्नेंदु पट्टनायक, वैज्ञानिक–ई, वन जैव प्रौद्योगिकी, आई.एफ.बी., हैदराबाद, श्री जीतेंद्र सिंह, वैज्ञानिक–डी, आई.टी.प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प., श्री वी. सोंदारा राजन, वैज्ञानिक–सी, आई.टी. सेल, का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर तथा श्री निशान्त आलम, आर.ए.–प्रथम, आई.टी.से.ल, व.व.अ.सं., जोरहाट ने आई.एस.सी., बैंगलोर में दिनांक 17 अक्टूबर 2013 से 19 अक्टूबर 2013 तक द्वितीय राट्रीष्य ज्ञान नेटवर्क कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में "डोमेन नेम सर्विस, बैन्डविद मॉनीटरिंग सर्विस" सुरक्षा क्रियान्वयन हेतु कदम, पर तकनीकी परामर्श किया गया।

वानिकी अनुसन्धान विस्तार के लिए वेब पोर्टल का विकास

शुष्क और सम–शुष्क क्षेत्र की 160 महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों के द्विभाषी वेब पेजों में परियोजना के बारे में सूचनायें : वेब एप्लीकेशन का प्रयोग कैसे करना है, परियोजना टीम पेज, कान्टैक्ट यूज पेज, मुख्य प्राचलों का वर्णन जैसे भिन्न प्रकार की मृदा, मृदा गठन, वृक्षों का आकार, पत्तियों का आकार, पत्तियों का मार्जिन, पुष्पण, आदि को वेब अनुप्रयोग में आयोजित किया गया है। वेब अनुप्रयोग के सभी अनुसन्धानकर्ताओं की जांच स्पीड और शुद्धता के आधार पर की गई। सभी अनुसन्धानकर्ता पूर्णतः कार्य में सिद्धस्त थे। वेब अनुप्रयोग में पांच किस्मों की सर्च के उपयोग करने का वर्णन किया गया है। प्रत्येक प्रजाति की डाटाशीट, वेब अनुप्रयोग के अनुसार प्रस्तुत की गई है

वेब अनुप्रयोग का होम पेज

पर्ण आकार दर्शाते हुये होम पेज

कैमीफोरा विगिटी की डाटा शीट

मुख्य खोज के द्वारा प्रजातियों की सूची

पादप डाटाबेस के वेब अनुप्रयोग के स्नैपशाट्स

और क्रमबद्ध रूप से अभिकल्पित है। अधिक सटीक जानकारी के लिए सभी प्रजातियों के फोटोग्राफ्स को डाटा सीट में बड़ा किया जा सकता है। मानकीकरण के पश्चात् शुष्क तथा सम–शुष्क क्षेत्र की 160 पादप प्रजातियों को वेब अनुप्रयोग के जरिये डाटाबेस में प्रविष्ट किया गया है, यथा : मुख्य वृक्ष प्रजातियों झाड़ियां, जड़ियां, घासें और औषधीय पादप सभी प्रजातियों के संबद्ध फोटोग्राफ्स को डाटाबेस में प्रविष्ट किया गया है। वेब एप्लीकेशन को वेब सर्वर में होस्ट किया गया है जिस तक इन्टरनेट यू.आर.एल. http://www.seracharidplant.in के जरिये पहुंच बनाई जा सकती है। वैब अनुप्रयोग के कुछ स्नैपशॉटस इस प्रकार हैं :

वेब अनुप्रयोग के अलावा इस परियोजना के तहत संस्थान की डायनामिक वेब साईट को पूरे वर्ष अद्यतन रखा गया। सभी नई, जारी तथा पूर्ण की गई परियोजनाओं की स्थिति साईट पर अद्यतन की गई। वर्ष के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसन्धान प्रकाशनों को वेबसाईट पर उनके प्रॉफाईल में अद्यतन किया गया। अन्य सूचनायें, जैसे संस्थान की डायरेक्टरी, बुलेटिन बोर्ड, इमेज गैलरी आदि को भी वेबसाईट पर नियमित रूप से अद्यतन किया गया।

8.2. सेवोट्टम : नागरिक/ग्राहक चार्टर से सम्बन्धित क्रिया–कलाप

भा.वा.अ.शि.प. द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने संस्थानों के जरिये देश के सभी भागों तथा वन एवं अन्य विभागों के ग्राहकों विभिन्न सरकारी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों, काष्ठ एवं वन उत्पाद आधारित उद्योगों किसानों वैज्ञानिकों और वानिकी से सम्बद्ध लोगों की अनुसन्धान आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अपनी सेवाओं के तहत संगठन को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विश्वास, प्रतिक्रिया और अपेक्षाओं के अनुरूप मानक सेवा पद्धति विकसित करनी है। संस्थानों द्वारा सेवाओं के साथ–साथ प्रकाष्ठ गुण/वृक्षों की पहचान और विश्लेषण, संरक्षण, परिरक्षण तथा रक्षण, मुख्य प्रजातियों का आनुवंशीक सुधार, सुधारित नर्सरी पद्धतियों, जैव सूचना, बाजार की प्रवृत्ति, सामाजिक आर्थिक अध्ययन एन.टी.एफ.पी. प्रबन्धन, रोपण तथा समस्याग्रस्त मृदाओं में रोपण, सामाजिक–आर्थिक अध्ययन, जैवविविधता संरक्षण तथा कई अन्य कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सरकार द्वारा स्वच्छ प्रशासन और सेवा के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। "सेवोट्टम" मानकीकृत सेवा का उपयुक्ततम मॉडल है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं की पहचान करना, प्रत्येक सेवा के मानक तय करना, मानकों के अनुसार कार्य–निष्पादन सुनिश्चित करना, गुणवत्ता की निरन्तरता बनाये रखना तथा जनता की शिकायतों को दूर करना है।

8.2.1. चार्टर को सूत्रबद्ध करने हेतु कृत कार्रवाई

आधुनिक समय में प्रत्येक संगठन का कार्य जनता सेवा के लिए स्तरीय प्रबन्धन पद्धति क्रियान्वित करना है। जनता–सेवा की गुणवत्ता सुधारना केन्द्र सरकार का दायित्व है। नागरिक ग्राहकों का चार्टर एक प्रलेख है जो नागरिकों/ग्राहकों के लिए सेवा के मानकों, सूचनाओं, रूचि और परामर्श, निष्पक्षता तथा पहुंच, शिकायतें दूर करना, शिष्टाचार तथा धन को मूल्य के प्रति संगठनों के दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संगठन के प्रति जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व भी शामिल है।

सिटीजन चार्टर का उल्लेख और क्रियान्वयन भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों में किया जाता है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। चार्टर, सेवोट्टम में वर्णित सात उद्देश्यों पर आधारित है : भा.वा.अ.शि.प. का उद्देश्य इस प्रकार है, "अनुसन्धान शिक्षा और विस्तार द्वारा वनों के सम्बन्ध में सुविज्ञता प्राप्त करना, ज्ञान का परिरक्षण करना, प्रौद्योगिकी और अनुसन्धान कार्यों का निरन्तर प्रसार करना, वनों से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण करना तथा वनों और पर्यावरण के सम्बन्ध में जनता को जागरूक करते रहना" शामिल है, लोक शिकायत अधिकारी द्वारा जन–शिकायतों का यथा समय निदान किया जाता है। तदनुसार शिकायतों की यथाशीघ्र निवारण के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। प्रभाग प्रमुख/ग्रुप संयोजक (अनुसन्धान) निदेशक तथा भा.वा.अ.शि.प. अधिकारियों द्वारा मानकों के अनुसार सेवाओं को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है। उपायों को विहित प्रक्रिया

के अनुसार मानकीकृत किया जाता है। चिन्हित मानकों का विश्लेषण किया जाता है। उन्हीं स्थितियों के नमूनों का विश्लेषण और तुलना की जाती है, जिन ग्राहकों ने हमारी सेवायें ली हैं। उनसे बिना पूर्वाग्रह के प्रतिपुष्टि करने का प्रयास किया जाता है।

8.2.2. चार्टर को क्रियान्वित करने हेतु की गई कार्रवाई

चार्टर को क्रियान्वित करने के लिए भा.वा.अ.शि.प. संस्थान अपने अनुसन्धान प्रयासों को उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार केन्द्रित करते हैं। उदाहरण के लिए शु. व.अ.सं., जोधुपर, शुष्क क्षेत्र की अनुसन्धान समस्याओं की पहचान करती है और उसके बाद अनुसंधान परिणामों को उपभोक्ताओं में प्रसारित करती है। अनुसन्धान समस्याओं को चिन्हित करने के लिए राजस्थान और गुजरात में हितधारकों की बैठक का आयोजन किया गया। ये राज्य संस्थान के कार्यक्षेत्र में आते हैं भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों द्वारा अपने क्षेत्रों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। एस.एफ.डी., उन्नतिशील किसान, वैज्ञानिक और एन.जी.ओ. हितधारकों की बैठकों में शामिल होते हैं और अपनी समस्याओं और अनुसन्धान आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं। अनुसन्धान समस्याओं के आधार पर संस्थानों के वैज्ञानिक आपस में विचार–विमर्श करते हैं और वैज्ञानिक साहित्य की समीक्षा करते हुये अनुसन्धान परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करते हैं।

परियोजना के मूल्यांकन हेतु वाहय विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है और अनुसन्धान सलाहकार वर्ग की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है और तत्पश्चात अनुसन्धान नीति समिति को बैठक में निधिकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जारी परियोजनाओं की निरन्तर मॉनीटरिंग की जाती है।

परियोजनाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए प्रदर्शन परीक्षण, विस्तार प्रशिक्षण, वन विज्ञान केन्द्र, प्रदर्शन ग्राम, मुद्रित सामग्री, रेडियों वार्ता, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और प्रकाशनों को संस्थान के वेबसाईट में अपलोड किया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा अपने संस्थानों के लिए विहित विजन, मिशन और विषय क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वार्षिक कार्य योजना में वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली अनुसन्धान परियोजनाओं, प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचनाओं, अध्ययन दौरों, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त सूचनायें क्लाइट चार्टर में शामिल की गई हैं जिनका क्रियान्वयन पूरी निष्ठा से किया जा रहा है।

8.2.3. चार्टर के उचित क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालायें आदि

भा.वा.अ.शि.प. और संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण और जागरूकता हेतु कार्यशालायें तथा विस्तार क्रिया–कलाप नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं जो परिषद् के क्रियाकलापों का अभिन्न अंग है। परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष आर.ए.डी. बैठकों, हितधारकों/उपभोक्ताओं की बैठकों, मेलों तथा विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण घटक को अध्याय 6 में वर्णित किया गया है तथा आयोजित कार्यशालाओं के बारे में अध्याय 7 बताया गया है।

8.2.4. नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर पर प्रकाशन के प्रयास

भा.वा.अ.शि.प. के वेबसाईट पर सिटीजन चार्टर रखा गया है, जिस पर सबकी पहुंच है। हितधारकों की पहुंच और सूचना के लिए परिषद् सभी संस्थानों में अन्य विस्तार उपायों के अलावा प्रिंट मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर द्वारा कृषि मेलों, प्रशिखण और प्रदर्शन कार्यक्रमों, वी.वी.के. आदि में लघु पुस्तिकाओं सहित प्रसार सामग्री को तेलगू, कन्नड़, अंग्रेजी, कोंकंड़ी भाषाओं में वितरित किया जाता है। भुगतान पर तकनीकी बुलेटिन/प्रकाशन अंग्रेजी, कन्नड़ और तेलगू में उपलब्ध हैं। उ.व.अ.सं., जबलपुर में प्रकाशन और जागरूकता प्रचार के तहत नागरिकों/ग्राहकों को जागरूक करने के लिए नोटिस बोर्डों आदि पर नारे लिखे गये हैं। संस्थान में जागरूकता हेतु सामान्य व्याख्यान भी दिये जाते है। हि.व.अ.सं., शिमला में कर्मचारियों को सही मायनों में क्लांईट चार्टर को हितधारकों के लिए लागू करने हेतु प्ररित किया जा रहा है। भा.वा.अ.शि.प. के अन्य सभी संस्थानों द्वारा जागरूकता पैदा करने हेतु प्रसारण अभियान चलाया जाता है।

8.2.5. क्रियान्वयन चार्टर का मूल्यांकन

प्रभावशीलता जांचने के लिए चार्टर के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यह प्रक्रिया सभी संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही है, आई.डब्ल्यू.एस.टी. बंगलोर में जी.आर.सी./निदेशक तथा सहा. महा. तथा उप महा./महानिदेशक द्वारा चार्टर के क्रियान्वयन का आन्तरिक क्रियान्वयन किया जाता है। निकट भविष्य में क्रियान्वयन का बाह्य मूल्यांकन विकसित किया जायेगा। इसी प्रकार शु.व.अ.सं., जोधपुर में जारी सभी नई परियोजनाओं को आर.ए.जी. के बाहय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हि.व.अ.सं., शिमला में ग्राहकों का चार्टर, वित्तीय वर्ष के अन्त में मॉनीटर किया जाता है जिसमें सभी हितधारकों की प्रस्तावित बाहय क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है और इन प्रशिक्षणों को वन एवं पर्यावरण के लाभ के बारे में केन्द्रित किया जाता है।

8.3. एस.सी./एस.टी./पिछडी जातियों/अल्पसंख्य समुदायों के कल्याण हेतु उपाय

व.आ.वृ.प्र.सं., बैंगलोर में दिनांक 28 अप्रैल 2014 को डॉ. बाला साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रो. डी. जे जयहरण, सामाजिक विश्लेषण केन्द्र, मदुरैई द्वारा "भारतीय समाज का प्रजातंत्रीकरण" पर व्याख्यान दिया गया।

का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ है जिसमें का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर के कर्मचारियों की शिकायतें सुनी जाती हैं। प्रकोष्ठ में संस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म दिवस, 2013

कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय अपनाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों की एशोसियेशन बनाई गई है, जो कर्मचारियों के विकास और कल्याण का काम करती है, शु.व.अ.सं., जोधपुर में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. कर्मचारी कल्याण समिति दिनांक 20 सितम्बर 2012 को बनाई गई थी जिसका उद्देश्य एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उत्थान करना है, जिसके लिए 12 सदस्यों की कार्यकारी समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन किया गया है। पदोन्नति/भर्ती के लिए शु.व.अ.सं., जोधपुर में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पदोन्नति/चयन प्रक्रिया हेतु रोस्टर को अनुरक्षित किया गया है। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. की पदोन्नति भर्ती के लिए सम्पर्क अधिकारी द्वारा रोष्टर चेक किया जाता है। सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारी द्वारा रोस्टर पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। शु.व.अ.सं., कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2013 को डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हि.व.अ.सं., शिमला में एस.सी./एस.टी./पिछडी जाति/अल्पसंख्यक समुदायों का विभिन्न स्तरों पर कल्याण किया जा रहा है। संस्थान द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण/विस्तार कार्यक्रमों में इन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस सबन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।